न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, बोकारो।

भू–अर्जन अपील वाद संख्या–01 /2018–19

(पुनपुन राय एवं अन्य बनाम् NHAI एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
05-09-2020	प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू–अर्जनवाद संख्या–10/2011–12, एवार्ड क्रमांक–30 में पारित आदेश के विरूद्ध, पुनपुन राय एवं अन्य, सा0–जोधाडीह मोड़, चास, पोस्ट+थाना–चास, जिला–बोकारो के द्वारा लाया गया है। उक्त वाद मौजा डुमरजोर खाता नं0–25, प्लॉट नं0–489, रकवा–0.1301 एकड़ से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा डुमरजोर खाता नं0–25, प्लॉट नं0–489, कुल रकवा– 0.1301 एकड़ भूमि रैयती खतियानी भूमि है। भू–अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। कुल रकवा– 0.1301 एकड़ भूमि का मूल्य 723438.00 (सात लाख तेईस हजार चार सौ अडतीस) रूपये को आपत्ति कर रैयत के द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है एवं व्यवसायिक भूमि के रूप में तैयार किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की गई भूमि आवासीय /व्यवसायिक योग्य है, परन्तु भू–अर्जन विभाग के द्वारा कृषि योग्य भूमि बताकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा आवासीय /व्यवसायिक भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	द्वितीय पक्ष NHAI के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ–साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा0, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू0अ0, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या–489 धारा 3A में भूमि का किस्म चाहरदिवारी गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म चाहरदिवारी प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHAI द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्त्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था। आवेदक के द्वारा अपने वक्तव्य एवं लिखित जवाब के समर्थन में ऐसी कोई कागजात /साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागतातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा डुमरजोर खाता नं0–25, प्लॉट नं0–489, रकवा–0.1301 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है एवं संबंधित भूमि पर निर्माण संरचना का भी मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू–अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर, बोकारो। अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर, बोकारो।	